

# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 117/019

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

1 सुगन पुत्र मिश्रा जाति मीना निवासी धवान तहसील टोडाभीम जिला करौली

2 एस बी बी जे हाल एस बी आई शाखा टोडाभीम

— अप्रार्थीयान

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956**

निर्णय

दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 871 रकवा 0.18 है0.ग्राम धवान तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 648 रकवा 14 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाला के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2021 से 24 यह भूमि सुगन पुत्र मिश्रा अप्रार्थी के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 648 का नवीन खसरा नम्बर 871 रकवा 0.18 है0. बनाकर हाल जमाबंदी मे सो अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।


खातेदारी होने पर बैंक के रहन है जब तक ऋण बसूनी नहीं होगा बैंक को नुकसान होगा शेष अप्रार्थीयान अनुपस्थित है। इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी। दोराने बहस अपने कथन जवाब को दोहराते हुए कहा की बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। खातेदार द्वारा इस भूमि पर ऋण लिया गया है भूमि सिवायचक हो गई तो बैंक को नुकसान होगा प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाब एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2013 से 2016 की खाता संख्या 01 में आराजी खसरा नम्बर 648 रकवा 14 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाला के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी में नामान्तरण संख्या 509 से रकवा 14 विस्वा भूमि आवंटन हुई। और बाद में खातेदारी स्वीकृत हुयी थी हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 73 में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। जहा पर वकील अप्रार्थी का कथन है कि इस आराजी पर बैंक का ऋण बकाया है। बहा पर अप्रार्थीयान के अन्य आराजी से बैंक की बसूली हो सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया हैं कि **All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly.** माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 871 रकवा 0.18 है0.ग्राम धवान तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2041 से 2044 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

  
अति० जिला-कलक्टर  
करौली